

फार्म एफ-2
(नियम 3 (2))
मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक-चालू लक्ष्य

	2019–20 वास्तविक	2020–21 बजट अनुमान	2020–21 संशोधित अनुमान	2022–22 बजट अनुमान	अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
					वर्ष+1	वर्ष+2
1. कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	15.04	-2.90	18.00	4.67	3.00	2.00
2. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	5.21	3.29	6.52	4.56	4.00	3.00
3. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के रूप में कुल बकाया देयताएं	22.82	24.87	27.71	28.34	23.00	24.00
4. अन्य लक्ष्य:						
4.1 ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में	16.54	16.51	20.10	18.49	17.00	18.00
4.2 प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	3.77	1.62	4.74	2.87	1.65	1.70
4.3 ब्याज भुगतान तथा पेंशन कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	18.13	14.48	18.90	16.45	18.00	19.00

ख. राजकोषीय संकेतकों में निहित पूर्वानुमान -

1. राजस्व प्राप्तियाँ -

(क) कर-राजस्व और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें- कर राजस्व में वृद्धि के उपायों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई है। किन्तु कोविड-19 के चलते आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से वर्ष 2021-22 में कर राजस्व में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 1.55 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गयी है। ऐसा मुख्यतः वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन एवं

परिवहन मद की प्राप्ति में वृद्धि के कारण है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) पर वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 1.77 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गयी है।

(ख) करेतर राजस्व - राज्य के करेतर राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 0.38 प्रतिशत की मामूली कमी होना अनुमानित है। सिंचाई के क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल की बिक्री हेतु अग्रिम कर की अदायगी को प्राप्ति में दर्शाया गया है।

(ग) स्थानीय निकायों को अंतरण - तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण निकायों को राज्य के शुद्ध कर का लगभग 6.91 प्रतिशत तथा शहरी निकायों को 2.09 प्रतिशत अंतरण का प्रावधान किया गया है।

(घ) कुल कर राजस्व के प्रति अपने करेतर राजस्व का अंश - कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व चालू वर्ष के 54.54 प्रतिशत की तुलना में आगामी वर्ष में 53.17 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

(ड.) कुल करेतर राजस्व के प्रति अपने करेतर राजस्व का अंश - कुल करेतर राजस्व में राज्य के स्वयं के करेतर राजस्व का अंश चालू वर्ष में 31.47 प्रतिशत की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में 29.94 प्रतिशत अपेक्षित है।

2. पूँजीगत प्राप्तियाँ -

(क) केन्द्र से ऋण और अग्रिम - वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर इस मद में राज्य सरकार के पास राशि रूपये 2,776.05 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था जो कि चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 5,948.47 करोड़ अनुमानित किया गया है। चालू वर्ष में इस मद में रूपये 3,400.80 करोड़ की प्राप्ति (जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण 3,109 करोड़ सहित) तथा रूपये 216.38 करोड़ की चुकौती अनुमानित है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ - वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर इस मद में रूपये 4,430.98 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था जो कि चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 4,000.98 करोड़ अनुमानित की गई है। चालू वर्ष में इस मद में शून्य प्राप्ति तथा रूपये 430.00 करोड़ की चुकौती अनुमानित है।

(ग) वित्तीय संस्थाओं से उधार - वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे एल.आई.सी., जी.आई.सी., नाबार्ड, एन.सी.डी.सी. आदि के विरुद्ध बकाया राशि 4,601.06 करोड़ की थी, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में रूपये 4,785.54 करोड़

अनुमानित की गई है। इस वर्ष इस मद में राशि रूपये 1010.00 करोड़ की प्राप्ति तथा रूपये 825.52 करोड़ की चुकौती अनुमानित है।

(घ) अदेय देयतायें - बाजार ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर बाजार ऋण तथा अन्य दायित्व रूपये 50,432.10 करोड़ का था, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में रूपये 64,665.10 करोड़ अनुमानित की गई है। वर्ष 2020-21 में इस मद में रूपये 14,233.00 करोड़ की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है।

(ङ) अन्य प्राप्तियाँ (शुद्ध) - अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि, आदि- वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर इस मद में राशि रूपये 7,617.67 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में रूपये 8,245.67 करोड़ अनुमानित किया गया है। वर्ष 2020-21 में इस मद में राशि रूपये 628.00 करोड़ की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है।

(च) ऋण तथा अग्रिम की वसूली - वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं/बोर्ड/निगमों को दिये गये उधार की राशि रूपये 1,391.20 करोड़ की थी। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राशि रूपये 300.00 करोड़ की वसूली होने का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु इस मद में राशि रूपये 320.00 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।

3. कुल व्यय -

(क) राजस्व खाता - (1) ब्याज भुगतान -

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	अल्पबचत, सामान्य भविष्य निधि, आदि	अन्य	कुल
2019-20 (लेखा)	3334.56	141.54	295.70	528.25	670.29	4970.34
2020-21 (सं.अ.)	4350.63	163.46	286.01	518.97	922.00	6241.07
2021-22 (ब.अ.)	4441.27	181.93	295.96	548.60	1003.07	6470.83

(2) प्रमुख आर्थिक सहायता - वर्ष 2019-20 के दौरान, जिन क्षेत्रों हेतु राज्य द्वारा प्रमुख रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है उनमें खाद्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग तथा वन विभाग प्रमुख हैं। इन सभी क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा कुल रूपये 11,483.23 करोड़ का व्यय किया गया। चालू वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिये रूपये 7,565.39 करोड़ का व्यय अनुमानित है। राज्य शासन द्वारा दी जा रही प्रमुख आर्थिक सहायता मुख्यतः किसानों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा जरूरतमंद लोगों को तथा राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई कृतिपय योजनाओं के अंतर्गत है।

(3) वेतन - राजस्व व्यय में एक बड़ा हिस्सा वेतन पर होने वाले व्यय के रूप में होता है। राज्य शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों तथा नियमित नियुक्ति के स्थान पर संविदा नियुक्ति, रिक्त पदों पर अतिशेष कर्मचारियों की नियुक्ति, नवीन पदों की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर सहमति के फलस्वरूप राज्य शासन का वेतन पर होने वाला व्यय सीमित है। इसमें गत 05 वर्षों में औसतन वार्षिक वृद्धि 17.35 प्रतिशत रही। आगामी वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्ते आदि मद पर लगभग 7.27 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

(4) पेंशन - राज्य में पेंशन पर होने वाला व्यय कुल राजस्व व्यय का 7.93 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य के भविष्य के पेंशनरी दायित्वों को कम करने के लिये पेंशन निधि का गठन किया गया है। इसमें संचित निधि से राशि का अंतरण किया जाकर भारत सरकार के खजाना बिलों में धनवेष्ठि त किया जाता है। राज्य के पेंशन भार को कम करने के लिये नवम्बर, 2004 से शासकीय सेवकों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। यह राज्य शासन के पेंशनरी दायित्वों को कम करने में सहायक होगा।

(5) अन्य - राजस्व व्यय की अन्य मर्दों में मुख्य रूप से कार्यालयीन व्यय, विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाला अनुदान, पूँजीगत परिसंपत्तियों का संधारण व्यय आदि आते हैं।

(ख) पूँजीगत खाता -

(1) ऋण और अग्रिम - राज्य शासन द्वारा विभिन्न बोर्ड, संस्थाओं और निगमों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण प्रदान किये जाते रहे हैं। अविभाजित राज्य की ऋण देयताओं के एकमुश्त निपटारे हेतु बजट के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस राशि में गत वर्षों की तुलना में काफी कमी आयी है।

(2) पूँजीगत परिव्यय - राजस्व व्यय में निरंतर वृद्धि होने के कारण पूँजीगत परिव्यय में सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर आगामी वर्षों में कमी होना अनुमानित है। आगामी वर्ष में चालू वर्ष की तुलना में इस मद में लगभग 29.58 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है।

4. सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि - वर्तमान बाजार मूल्य पर जी.एस.डी.पी. में वर्ष 2021-22 में 9.37 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है।

(ग) संवहनीयता का आंकलन -

(१) राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय के बीच संतुलन -

(क) वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में राज्य का सकल कर/करेतर राजस्व जी.एस.डी.पी. का 9.77 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। कर प्रयासों के बेहतर अनुपालन से और अधिक वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(ख) जैसा कि वृहद आर्थिक संरचनात्मक विवरण में दर्शाया गया है कि वर्ष 2018-19 की तुलना में कृषि क्षेत्र में 2019-20 में 3.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किन्तु वर्ष 2020-21 में 4.61 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के कारण योगदान में निरंतर वृद्धि हुई है। यह राज्य की नवीन औद्योगिक नीति के फलस्वरूप नवीन उद्योगों की स्थापना में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस बदलते स्वरूप में राजकोषीय नीति पर सामान्य प्रभाव पड़ेगा।

(ग) वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2021-22 में अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि की संभावना के कारण करेतर राजस्व में मामूली वृद्धि अनुमानित है। करेतर राजस्व की मुख्य मदों में ब्याज प्राप्तियाँ, वन, खनिज तथा सिंचाई कर से संबंधित प्राप्तियाँ आती हैं। राज्य का एक बड़ा क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने से वन संसाधन की प्राप्तियाँ में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है।

जल संसाधन मद में भू-जल स्रोतों से उद्योगों द्वारा जल दोहन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इनसे प्राप्त जल की दरों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये चालू वर्ष में वृद्धि की गई है। सार्वजनिक उपकरणों द्वारा लाभ की स्थिति में नहीं होने से लाभांश घोषित न किये जाने के कारण भी इस मद में अनुमानित राशि का संग्रहण नहीं हो रहा है।

(घ) केन्द्रीय करों के हिस्से में अनुमानित लक्ष्य राशि पूर्णतः कर संग्रहण पर आधारित है। गत वर्षों में इस मद में लक्ष्य के अनुरूप राशि नहीं मिलने के कारण राज्य को अनुमानित राजस्व नहीं प्राप्त होने के कारण विगत वर्ष राजस्व घाटे की स्थिति निर्मित हुई तथा चालू वित्तीय वर्ष में भी केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि में भारी कमी के कारण राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप केन्द्रीय बजट में राज्य हेतु निर्धारित किये गये हिस्से के आधार पर केन्द्रीय करों के हिस्से का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) राजस्व व्यय हेतु मुख्य मदों वेतन, पेशन, अनुरक्षण एवं ब्याज अदायगी में आगामी वर्ष में अधिक वृद्धि अनुमानित की गई है। पेशन तथा वेतन पर होने वाला व्यय राज्य के कुल राजस्व व्यय का 38.18 प्रतिशत अनुमानित है।

(च) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुरूप राजस्व घाटा शून्य स्तर पर संभव नहीं होने के कारण बजट में राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। राजस्व आय तथा व्यय के मध्य संतुलन का हरसंभव प्रयास किया गया है तथापि केन्द्र से मिलने वाले राजस्व में कमी तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि ऋण के रूप में प्राप्त होने के कारण राजस्व घाटे की स्थिति निर्मित हुई है, जो आगामी वर्ष भी इन्हीं कारणों से संभावित है।

2. उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये बाजार उधारों सहित पूँजीगत प्राप्तियों का प्रयोग-

(क) राज्य द्वारा लिये जाने सभी प्रकार के उधारों का अधिकांश उपयोग पूँजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु किया जा रहा है, किन्तु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय एवं पंचायती निकायों को अनुदान एवं क्षतिपूर्ति समनुदेशन दिये जाने तथा खाद्य, ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता जारी रखने के कारण ऋण का आंशिक उपयोग राजस्व व्यय में भी हो रहा है। इसी के कारण पूँजीगत व्यय की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। विभिन्न अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिये राज्य द्वारा पूर्व वर्षों तक ऋण सीमा के तहत ही ऋण राशि का उपयोग किया गया है। आगामी वर्षों हेतु ऋण राशि का अधिकांश उपयोग पूँजीगत निर्माण हेतु किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(ख) अन्य पूँजीगत प्राप्तियों में ऋण तथा अग्रिम की वसूली मद आता है। इस मद में अपेक्षित वृद्धि लाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इस मद में प्राप्ति का उपयोग पूँजीगत परिव्यय में ही किया जाता है।

(ग) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य राज्य में राजस्व घाटे को शून्य पर लाना तथा वित्तीय घाटे को सीमित करना है।

3. आगामी दस वर्षों के लिये औसत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर आंकी गयी अनुमानित वार्षिक देयतायें -

गत पांच वर्षों से राज्य के पेशन दायित्व में औसतन 16.05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही है। आगामी दस वर्षों में पेशन पर होने वाला व्यय निम्नानुसार अनुमानित है -

राशि करोड़ में

वर्ष	पेशनरी भुगतान
2019-20	6611.11
2020-21	6677.80
2021-22	6570.86
2022-23	7625.48
2023-24	8849.37
2024-25	10269.70
2025-26	11917.98
2026-27	13830.82
2027-28	16050.67
2028-29	18626.80
2029-30	21616.40
2030-31	25085.83
2031-32	29112.11